

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक- ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी-1020

दिनांक-10/6/2025

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स KDM5 डवलपर्स एलएलपी,
जरिये पार्टनर,
श्री धन्ना राम जाखड़,
ए-8बी, विनायक विहार-ए,
गोकुलपुरा, कालवाड़ रोड, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 204/1, 205/1, 208, 209, ग्राम-मोहनपुरा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 316वीं बैठक दिनांक 15.01.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

1.	मुखण्ड का क्षेत्रफल	5896.14 वर्गमी. (साईट प्लान अनुसार) 5633.04 वर्गमी. (मौका स्थिति अनुसार)
2.	मुखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट) व 12 मीटर
3.	लीजडीड जारी दिनांक	13.09.2023
4.	पुनर्गठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	एकल पट्टा
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, सी.ए./99/25451

अनुमोदित मानदण्ड:-

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात् दिनांक 09.06.2032 तक प्रभावी होगी।			
2.	सैटबैक	सामने-I (30 Mtr.) 15.24 मी.	पार्श्व-I 11.28 मी.	पार्श्व-II 11.28 मी.	पीछे 11.28 मी.
3.	सफल निर्मित क्षेत्रफल	45,865.66 वर्गमी.			
4.	बी.ए.आर.	5.88 (33,141.85 वर्गमी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	35.59 प्रतिशत (2005.01 वर्गमी.)			
6.	ऊँचाई	0.46 मी. (प्लिन्थ) + 44.50 मी. (गूतल + प्रथम से 14 तल) + 6.00 मी. (मशीन रूम/ममटी/ वाटर टैंक) कुल 50.96 मी.			
7.	पार्किंग	कार	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल		
		268	-	155	-
					319.66 ईसीयू

तथ्य:-

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	316वीं बैठक दिनांक 15.01.2025

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड़्डयन विभाग	मुखण्ड पर एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 05.07.2024 अनुसार 57.06 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 04.07.2032 तक है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:- 26 49 55.85 N 75 43 58.24 E

सामान्य शर्त:-

1.	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-08, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2.	स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
3.	निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपलब्ध होगा।
4.	भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयर टैकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास उपलब्ध पार्किंग का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार निर्माण कार्य के दौरान भी उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य सुचारु रूप से चल सके।
5.	विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही उपयोग में लिया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.06.10 18:20:23 IST
Reason: Approved

- जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सेट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाइन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हूये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
 7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नश्वि. के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सीर ऊर्जा संयंत्र), 10.11.2.5 व 18.3 (सीवररेज ट्रीटमेंट प्लांट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
 9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
 10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
 13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
 14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
 15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्प्ले) लगवाया जावे।
 17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।
 18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
 19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, रक्षाम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
 21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent लेना अनिवार्य है। Consent लेना कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया के पश्चात भवन निर्माण पूर्ण हो जाना होगा।
 24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर सेस जमा कराना होगा।

विशेष शर्त:-

Signature valid

Digitally signed by Ankur Datta
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.06.10 18:20:23 IST
Reason: Approved

1. जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में दिनांक 13.09.2023 को ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजहोल्ड जारी की गई है। अतः भवन निर्माण अवधि दिनांक 12.09.2026 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 09.06.2032 तक प्रभावी होगी।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित बैंक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	बैंक संख्या	राशि	किस्त	दिनांक
AU SMALL FINANCE BANK	000071	1,05,87,873 /-	प्रथम	08.04.2026
	000097	1,05,87,873 /-	द्वितीय	08.01.2027
	000098	1,05,87,873 /-	तृतीय	08.10.2027
	000099	1,05,87,873 /-	चतुर्थ	08.07.2028
	000100	1,05,87,873 /-	पंचम	08.04.2029

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित बैंक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित बैंक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविषा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविषा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. के एवज में विकासकर्ता द्वारा Split Location पर EWS/LIG आवास निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये हैं:-

परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर.:-32,789.22 व.मी.			
प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर. का 5 प्रतिशत = 1639.46 व.मी.			
क्र.सं.	Split Location	आवासों की संख्या	क्षेत्रफल
1.	खसरा नम्बर 62/1, 62/402 एवं 62/403, ग्राम नरोलनपुरा, तहसील सागानेर, जयपुर। भवन मानचित्र जारी दिनांक-06.08.2019 (आवासीय आरक्षित दर 11,000/- प्रति व.मी.)	65 EWS	2083.26 व.मी.
प्रस्तावित कुल EWS आवासों की संख्या व क्षेत्रफल		65 EWS	2083.26 व.मी.

5. आप द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त Split location पर कुल 65 ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास प्रस्तावित किये गये हैं। अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2017 के प्रावधान संख्या 4ए के अनुसार EWS/LIG आवासों का निर्माण कार्य भवन मानचित्र जारी होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।
6. भवन मानचित्र जारी किये जाने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त EWS/LIG प्लैट्स हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया जावेगा।
7. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट

भवदीया,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आवासीय सुविधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएँ तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियंता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Signature valid

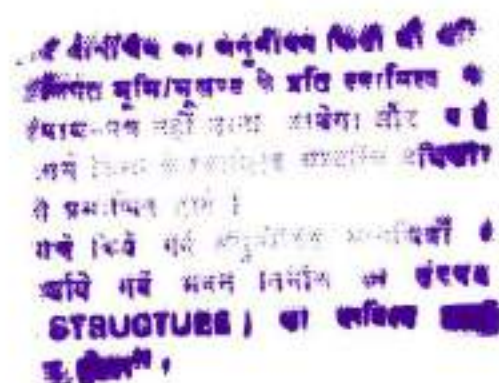
Digitally signed by Ankur Dahiya
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.06.10 18:20:23 IST
Reason: Approved

6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनाार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.06.10 18:20:23 IST
Reason: Approved

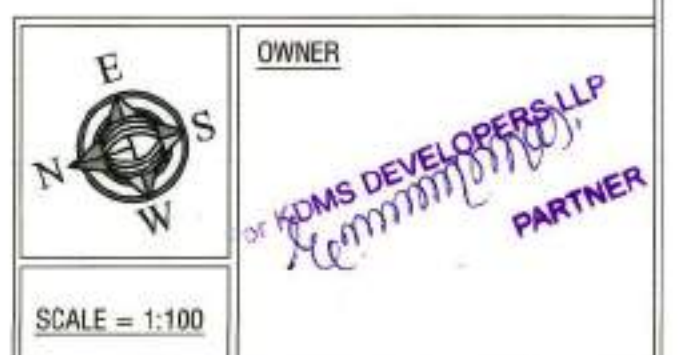


S.NO.	REFERENCE :-																														
1.	PLOT AREA AS PER JDA PATTIA = 5896.14 SQ.MT. (7051.73 SQ.YD.) PLOT AREA AS PER SITE CONDITION = 5633.04 SQ.MT.																														
2.	STANDARD B.A.R. = 5633.04 X 2.00 = 11266.08 SQ.MT.																														
3.	PROPOSED B.A.R. = 33141.85 SQ.MT. (5.88) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (33141.85) - (11266.08) = 21875.77 SQ.MT.																														
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 40 % (2253.216 SQ. MT.)																														
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 35.59% (2005.01 SQ. MT.)																														
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (20 %) = 1126.60 SQ.MT. REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) ON NATURAL EARTH = 563.30 SQ.MT. REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) ON PODIUM = 563.30 SQ.MT.																														
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (20.09 %) = 1132.13 SQ.MT. PROPOSED LANDSCAPE AREA ON NATURAL EARTH (10.07 %) = 567.66 SQ.MT. PROPOSED LANDSCAPE AREA ON PODIUM (10.02 %) = 564.47 SQ.MT.																														
8.	PERMISSIBLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (8.50) + (1.5 X Road Width + Front Setback) + 7.75 (Murnty & Machine Room) = 1.20 + 8.50 + (1.5 x 30 + 15.00) + 7.75 = 1.20 + 8.50 + 60.00 + 7.75 = 77.45 M																														
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.46) + 44.50 (Ground + 14 Floors) + 6.00 (Murnty & Machine Room) = PLINTH (0.46) + 44.50 + 6.00 = 50.96 M																														
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 32789.22 / 115 = 285.12 + 10% (VISITOR) RESIDENCIAL E.C.U. = 313.63 TOTAL NO. OF E.C.U. REQUIRED = 319.5 CARS REQUIRED = 240, SCOOTER REQUIRED = 239	COMMERCIAL = 352.63 / 75 = 4.70 + 25% (VISITOR) COMMERCIAL E.C.U. = 5.87																													
11.	E.C.U. REQUIRED :- CAR = 268, SCOOTER = 155 (319.6 E.C.U.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th colspan="2">CAR</th><th>SCOOTERS</th></tr> <tr> <th></th><th>VIA DRIVEWAY</th><th>BACK TO BACK</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOWER BASEMENT</td><td>87</td><td>18</td><td>72</td></tr> <tr> <td>UPPER BASEMENT</td><td>85</td><td>11</td><td>49</td></tr> <tr> <td>GROUND</td><td>13</td><td>4</td><td>00</td></tr> <tr> <td>OPEN</td><td>50</td><td>0</td><td>34</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>235</td><td>33</td><td>155</td></tr> </tbody> </table>		CAR		SCOOTERS		VIA DRIVEWAY	BACK TO BACK		LOWER BASEMENT	87	18	72	UPPER BASEMENT	85	11	49	GROUND	13	4	00	OPEN	50	0	34	TOTAL	235	33	155	
	CAR		SCOOTERS																												
	VIA DRIVEWAY	BACK TO BACK																													
LOWER BASEMENT	87	18	72																												
UPPER BASEMENT	85	11	49																												
GROUND	13	4	00																												
OPEN	50	0	34																												
TOTAL	235	33	155																												
14.	NUMBER OF UNITS/ FLATS = 196 CAR PARKING (Through Driveway) = 235 CAR PARKING (Back To Back) = 33																														
15.	REQUIRED ELECTRIC VEHICLE POINT = 32 NO. PROPOSED ELECTRIC VEHICLE POINT = 32 NO.																														
16.	COMMERCIAL AREA REQUIRED MINIMUM 1% OF TOTAL B.A.R. (33141.85) = 331.41 SQ.MT. PROPOSED COMMERCIAL AREA = 352.63 SQ.MT. (1.06 %)																														
17.	CLUB REQUIRED REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL B.A.R. (33141.85) = 662.83 SQ.MT. PROPOSED CLUB AREA = 1652.38 SQ.MT. (4.98 %)																														

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)									
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILDUP	SERVICE SHAFT/ CUTOUT	FIRE ESCAPE STAIR	ARCHITECTURAL ELEMENT/ CHAJJA	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES	COMMERCIAL
1	LOWER BASEMENT	4347.12	-	-	-	32.19	-	-	-
2	UPPER BASEMENT	4347.12	-	-	-	32.19	-	-	-
3	GROUND FLOOR	2930.59	-	39.57	-	32.19	2005.01	1652.38	352.63
	GUARD ROOM	13.45	-	-	-	-	-	-	-
	GAS BANK	14.31	-	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC SUBSTATION	52.67	-	-	-	-	-	-	-
4	1st FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
5	2nd FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
6	3rd FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
7	4th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
8	5th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
9	6th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
10	7th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
11	8th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
12	9th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
13	10th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
14	11th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
15	12th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
16	13th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
17	14th FLOOR	2363.70	2.91	39.57	64.97	32.19	2224.06	-	-
18	STAIR CASE MUMTY, MS BRIDGE ARCHITECTURAL ELEMENT	868.60	-	-	-	-	-	-	-
19	TOTAL	45665.66	-	-	-	-	33141.85	1652.38	352.63

PROPOSED AFFORDABLE (EWS & LIG) AREA AT SPLIT LOCATION = 1660.10 Sq.mt.
PROPOSED AFFORDABLE (EWS & LIG) SUPER BUILTUP AREA AT SPLIT LOCATION = 2083.25 Sq.mt.

FLAT TYPE	NO. OF FLAT	SUPER BUILTUP AREA
EWS	65	2083.25
TOTAL	65	2083.25

[illegible]

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO.
204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA
TEH. SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015

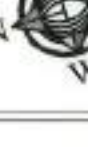
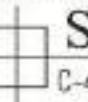
PH-09314918766 0141-4005506 (D)
Email- info.spacegrid@gmail.com

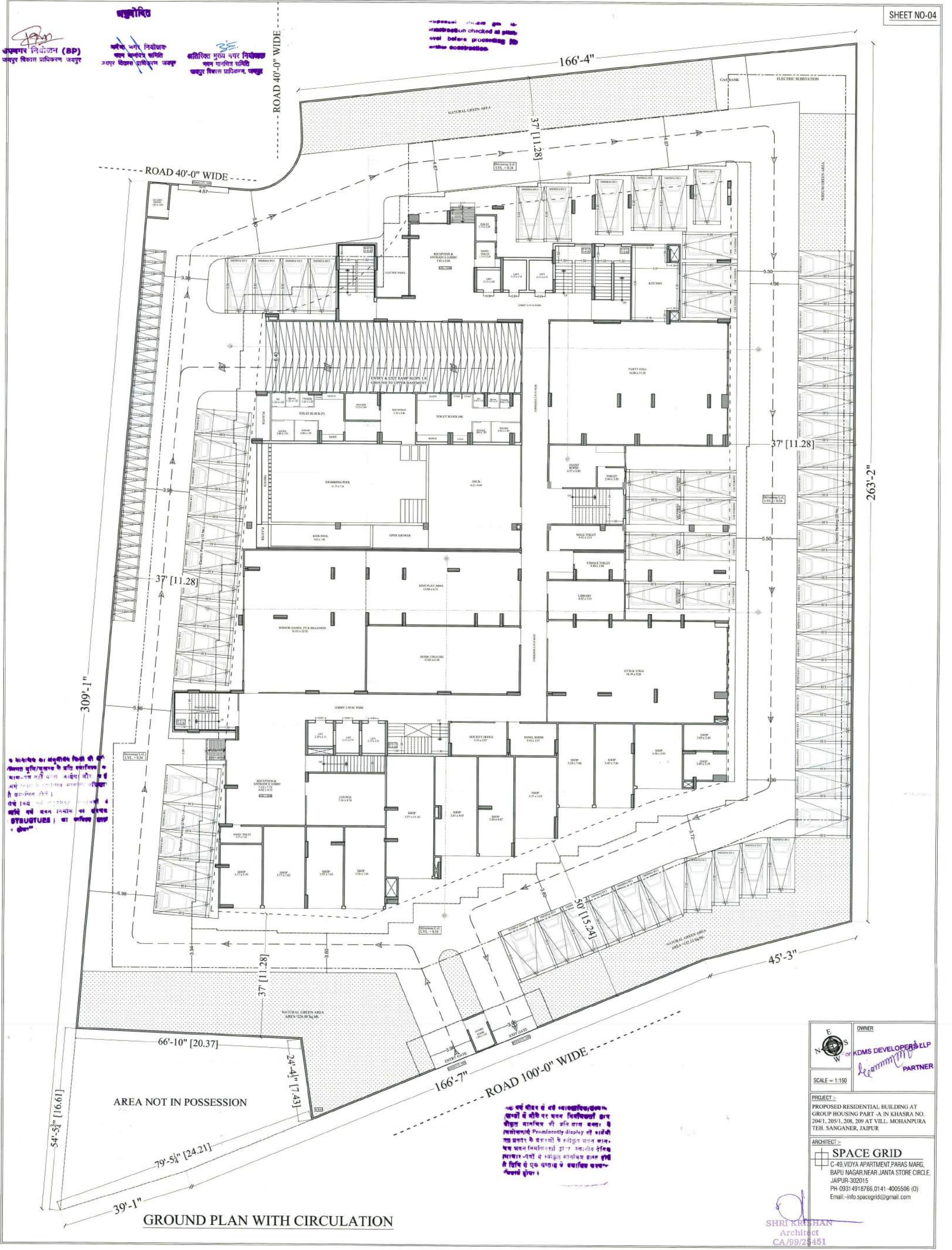
SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

-all work on gas in construction checked at plant and before proceeding to other construction



LOWER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

	OWNER KOMS DEVELOPERS PVT. LTD. <i>Commitment</i> PARTNER
SCALE = 1:150	
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO. 204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA TEH. SANGANER, JAIPUR	
ARCHITECT :-  SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766 (014)-4005506 (0) Email -> info.spacegrid@gmail.com 	
SHRI KRISHAN Architect CA/193/25451	



GROUND PLAN WITH CIRCULATION

OWNER

KOMS DEVELOPERS LLP

PARTNER

SCALE = 1:150

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO. 2041, 2051, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA TEH. SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015

PH-09314918766, 0141-4005506 (O)

Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

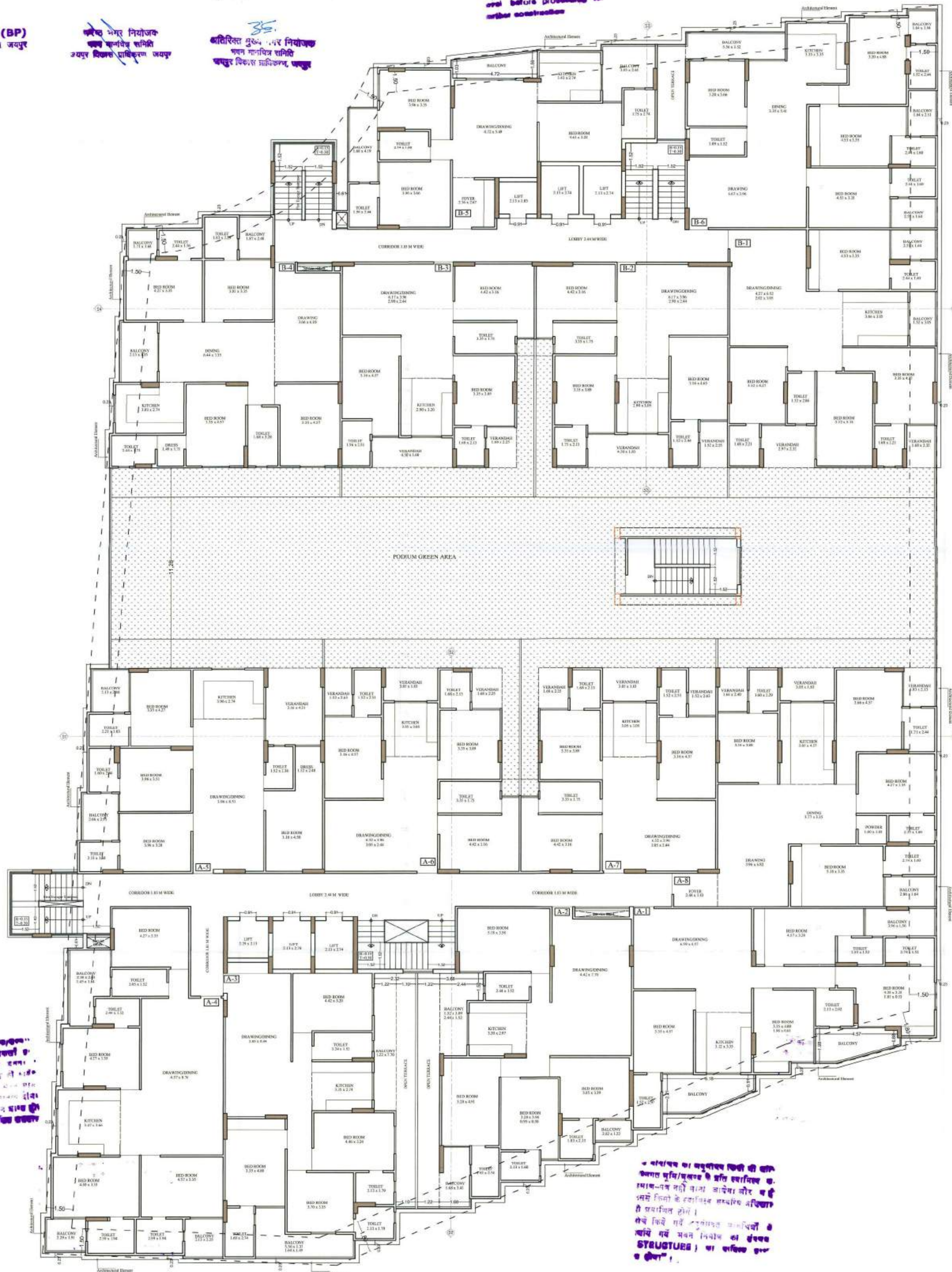
बहुमंश

अनुमति प्राप्त होने के बाद
आवश्यकता पड़ने पर
अनुमति प्राप्त होने के बाद
अनुमति प्राप्त होने के बाद

उपनगर विकास (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

कमल भवन नियोजक
कमल भवन विकास समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त प्रमुख नियोजक
कमल भवन विकास समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



1st FLOOR PLAN

अनुमति प्राप्त होने के बाद
आवश्यकता पड़ने पर
अनुमति प्राप्त होने के बाद
अनुमति प्राप्त होने के बाद

अनुमति प्राप्त होने के बाद
आवश्यकता पड़ने पर
अनुमति प्राप्त होने के बाद
अनुमति प्राप्त होने के बाद

	OWNER
	W or KOMS DEVELOPERS LLP PARTNER
SCALE = 1:125	
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO. 204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA TEH. SANGANER, JAIPUR	
ARCHITECT :- SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (0) Email:-info.spacegrid@gmail.com	
SHRI KRISHAN Architect CA/99/25451	

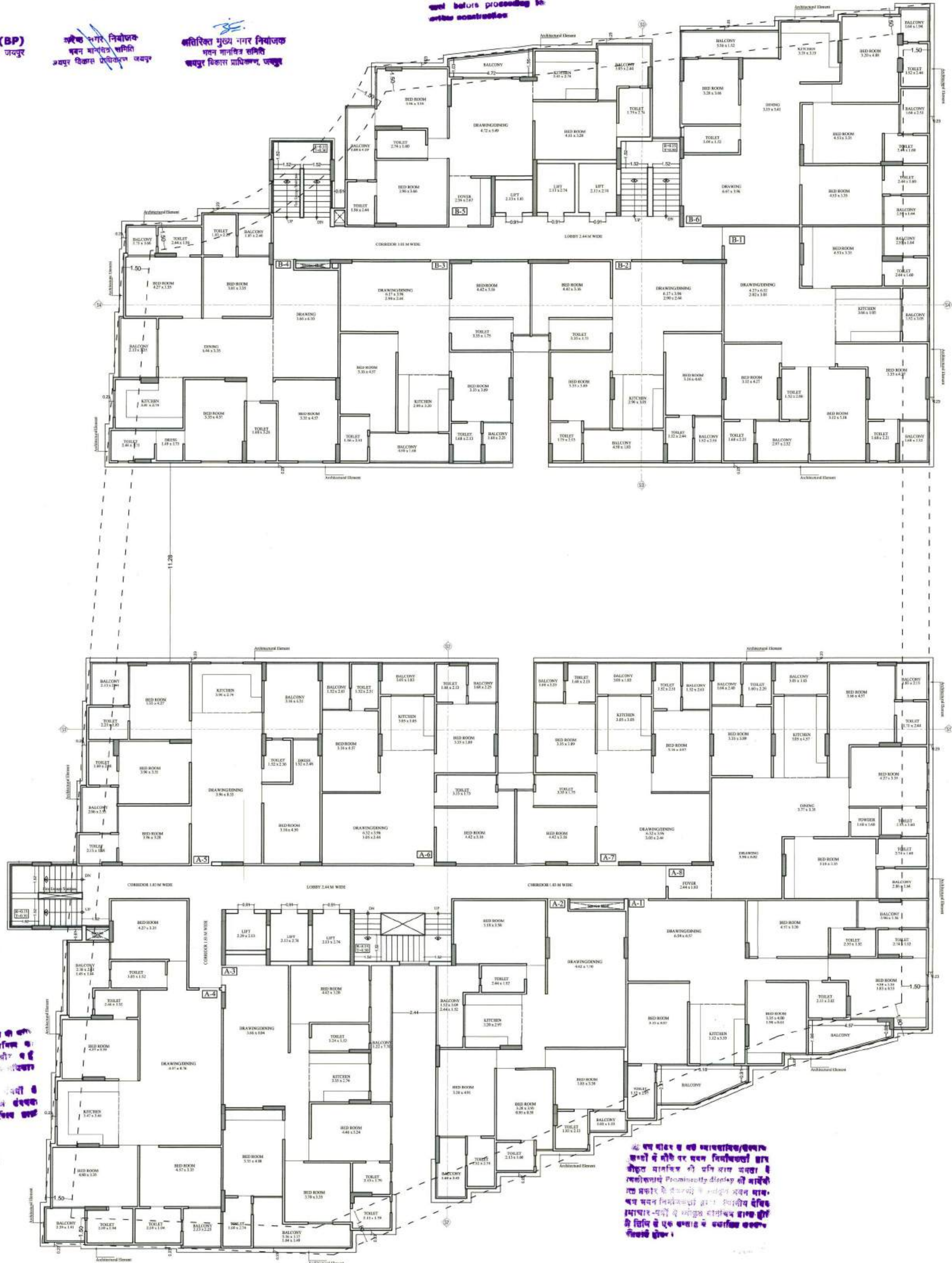
बहुमंश

आपका प्रस्तावित योजना
 construction checked as per
 and before proceeding to
 other construction

उपनगर नियोजन (BP)
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

श्रीक नगर नियोजक
 बपु नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

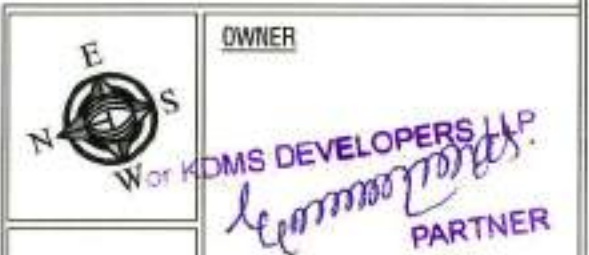
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
 बपु नगर निगम
 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



2nd to 13th FLOOR PLAN

आपका प्रस्तावित योजना
 construction checked as per
 and before proceeding to
 other construction

आपका प्रस्तावित योजना
 construction checked as per
 and before proceeding to
 other construction



SCALE = 1:125

PROJECT :-
 PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
 GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO.
 204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA
 TEH. SANGANER, JAIPUR

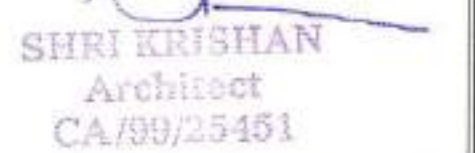
ARCHITECT :-
SPACE GRID
 C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
 BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
 JAIPUR-302015
 PH-09314918766/0141-4005506 (0)
 Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
 Architect
 CA/99/25451

कतिरिक्त मुख्य नगर निर्वाचक
मदन मानविश्व समिति
पञ्चपुर विकास प्राधिकरण, पञ्चपुर



अणुबन्धन का अनुबन्धन किसी की का।
अणुबन्धन सूत्र/सूत्र के प्रति अणुबन्धन का
अणुबन्धन नहीं माना जाएगा और यह
अणुबन्धन के अणुबन्धन सम्बन्धि अणुबन्धन
प्रमाणित होगा।
ऐसे किये गये अनुबन्धन सम्बन्धित
अणुबन्धन अणुबन्धन का अनुबन्धन
(STRUCTURE) का अणुबन्धन का



Construction checked at plant level before proceeding to further construction.

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)

बजेट नगर नियोजक
नवन मानवोपेय समिति
नगरपालिका प्रशासन प्रशासन प्रशासन प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य नगर निर्वाजक
मदन मानधित्र समिति
अध्यापक विकास प्राधिकरण, जयपुर

Architectural elevation drawing of a 14-story building facade. The drawing shows a symmetrical design with a central vertical axis. The facade is composed of a grid of windows and balconies. The ground floor is distinct, featuring larger windows and a different material texture. The upper floors have a repeating pattern of windows and balconies. The drawing is labeled with floor numbers and elevations on the left and right sides.

Labels on the left side (from top to bottom):

- 14th FLOOR (V. = 44.00)
- 13th FLOOR (V. = 42.50)
- 12th FLOOR (V. = 41.00)
- 11th FLOOR (V. = 39.50)
- 10th FLOOR (V. = 38.00)
- 9th FLOOR (V. = 36.50)
- 8th FLOOR (V. = 35.00)
- 7th FLOOR (V. = 33.50)
- 6th FLOOR (V. = 32.00)
- 5th FLOOR (V. = 30.50)
- 4th FLOOR (V. = 29.00)
- 3rd FLOOR (V. = 27.50)
- 2nd FLOOR (V. = 26.00)
- 1st FLOOR (V. = 24.50)

Labels on the right side (from top to bottom):

- 44.00
- 42.50
- 41.00
- 39.50
- 38.00
- 36.50
- 35.00
- 33.50
- 32.00
- 30.50
- 29.00
- 27.50
- 26.00
- 24.50

Ground level label at the bottom left:

GROUND (V. = 0.00)

WEST SIDE ELEVATION

अ बादाबख का अनुवादन किन्नी की बहिन
अनमोल बहिन/बहिन के प्रति स्वागत का
स्वागत-यह नहीं माना जायेगा और यह
हमारे किन्नी के बहिन/बहिन का स्वागत
होने चाहिए।
होने किन्नी के अनुवादन के बहिनों के
स्वागत के अन्तर्गत किन्नी के स्वागत
का STRUCTURE का बहिन/बहिन का
होना चाहिए।

[illegible]

SOUTH SIDE ELEVATION

OWNERS

DOMS DEVELOPERS LLP
Partner

SCALE = 1:125

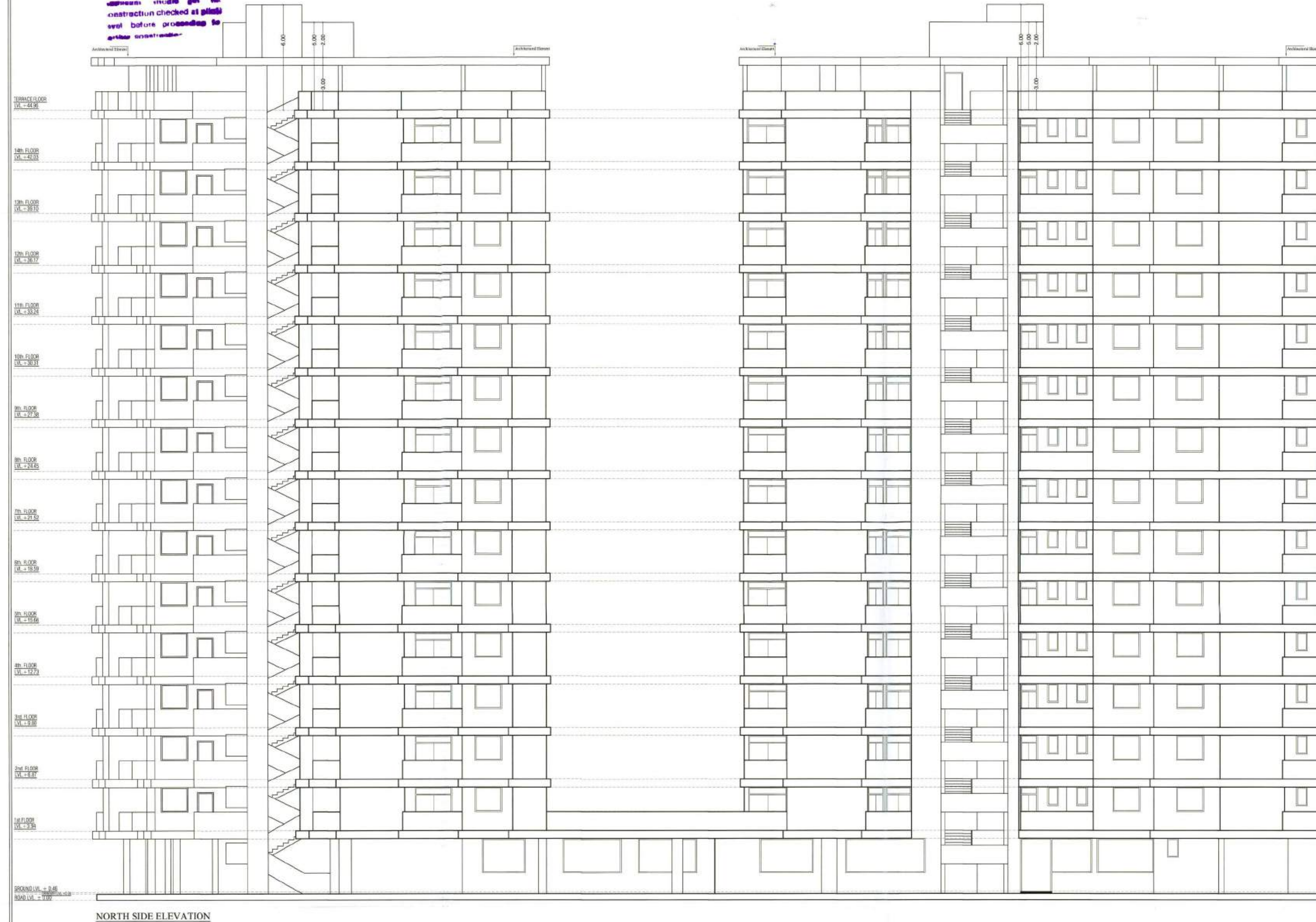
PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO.
204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA
TEH. SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHNAN
Architect
CA/99/25431

obstruction checked at point
and before proceeding to
other construction.



NORTH SIDE ELEVATION

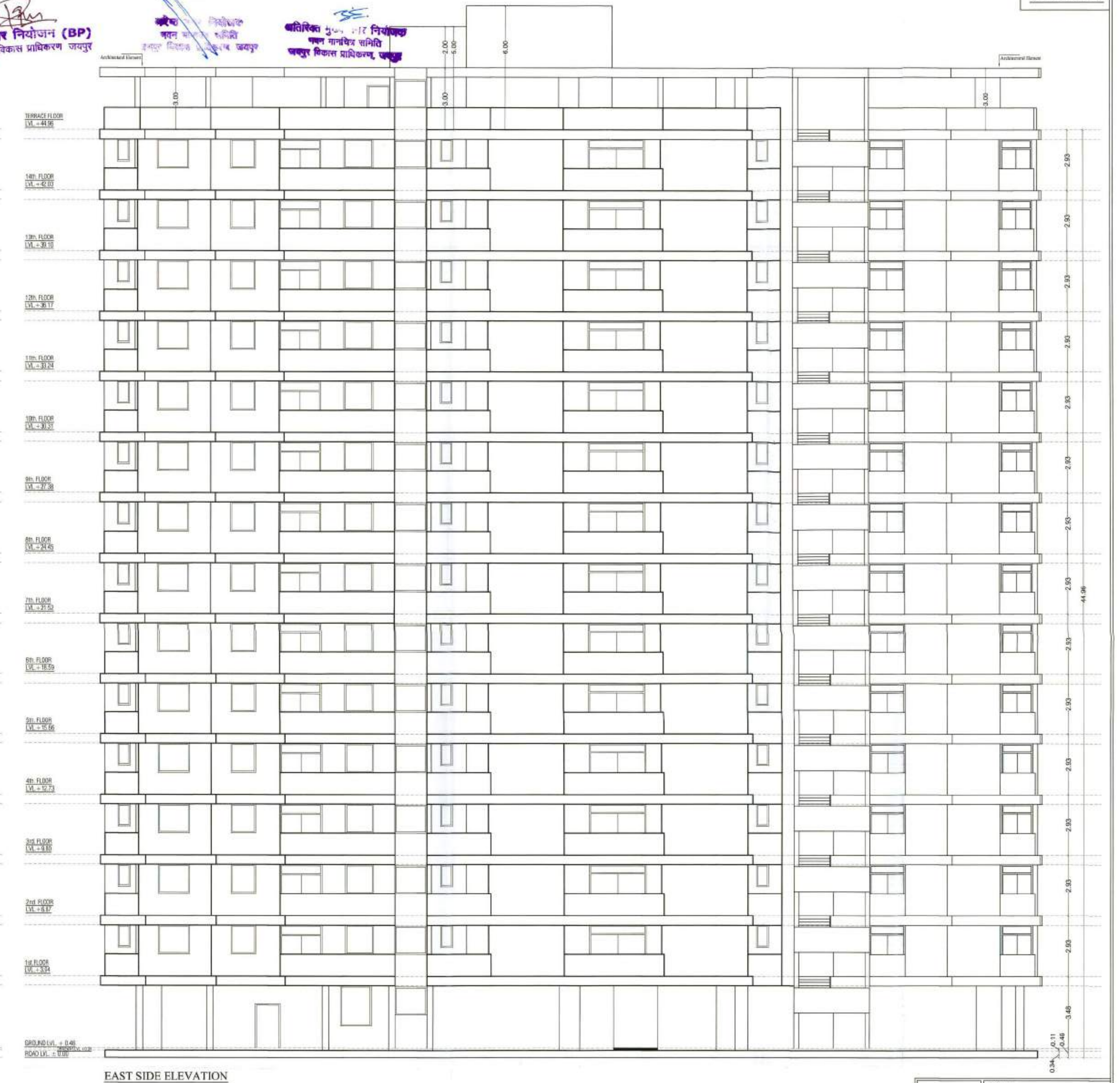
[illegible][illegible]


उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अनुमोदित

अधीनस्थ निजीकरण
जनन मापदंड प्रतिष्ठा
इसका विवरण प्रत्येक प्रकरण

अतिरिक्त मुख्य गार निर्यातक
पवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



EAST SIDE ELEVATION

NER

KDMS DEVELOPERS LLP
Partner

SCALE = 1:125

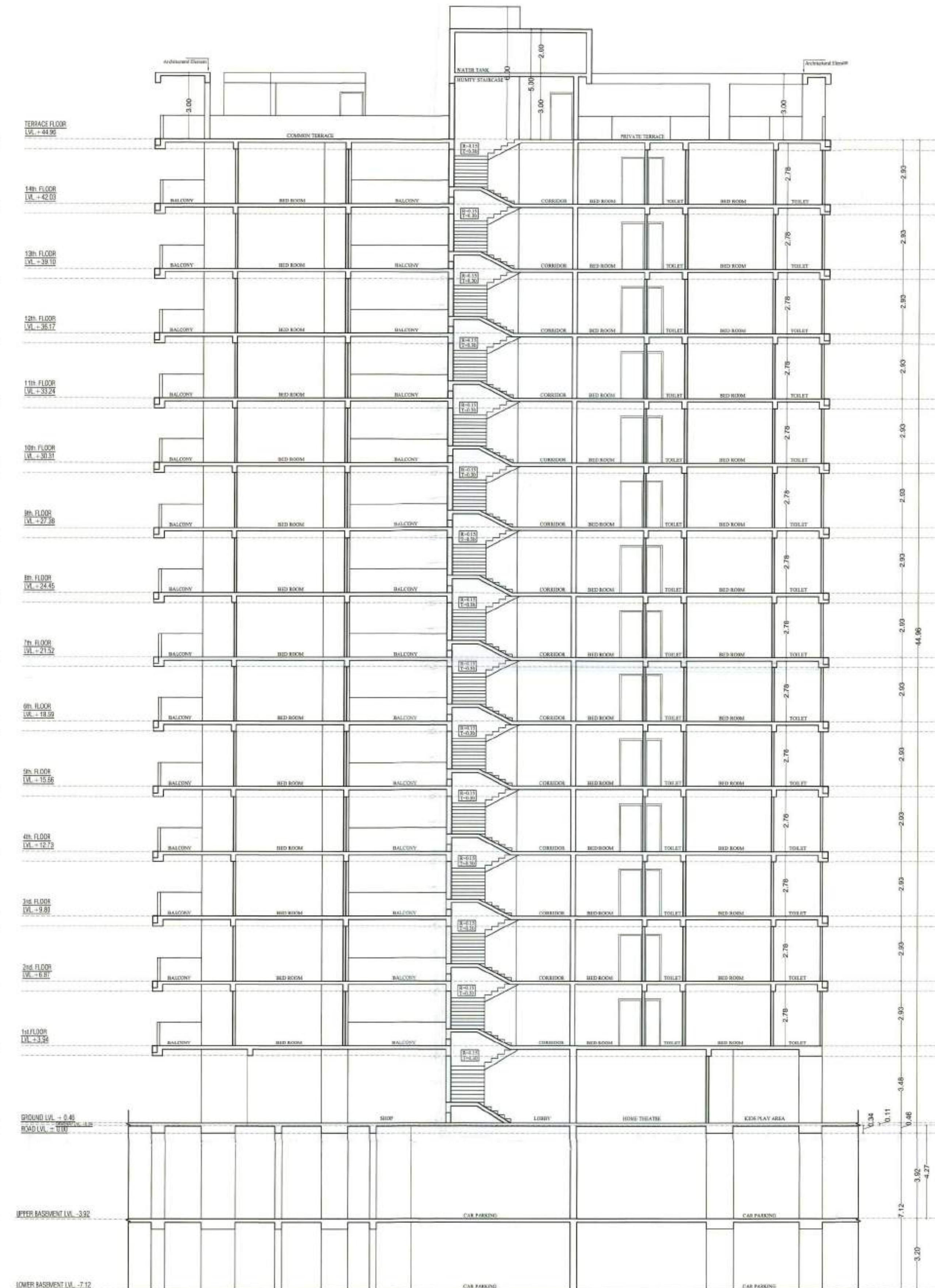
PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO.
04/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA
TEH. SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MAR
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIR
JAIPUR-302015
PH-09314818766, 0141-4005506 (O)
Email: info@spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHNAN
Architect
CA/99/25451

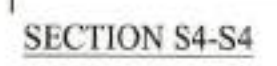


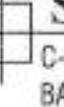
SECTION S2-S2

[illegible]



अ वादायक का अनुवाद किताबी की-
जिम्हटा बुद्धि/बुद्धि के प्रति उपायित का
आवा-यक नहीं माना जायेगा और
उसके किताबी उपायित प्रदर्शित प्रदर्शित
ही प्रदर्शित होये।
उसके किताबी प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित
प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित
STRUCTURE का प्रदर्शित प्रदर्शित
प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित प्रदर्शित

[illegible]

	OWNER	for KOMS DEVELOPERS LLP <i>Leimmamas</i> PARTNER
SCALE = 1:125		
PROJECT :-		
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT GROUP HOUSING PART -A IN KHASRA NO. 204/1, 205/1, 208, 209 AT VILL. MOHANPURA TEH. GANANER, JAIPUR		
ARCHITECT :-		
	SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314948766 0141-4005506 (0) Email:- info.spacegrid@gmail.com	
SHRI KRISHAN Architect CA/99/25451		